1156FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं (चित्तौड़गढ़) मुकाम ....

प्रतापसिंह बनाम भंवरसिंह

करम मुकदमा प्रा. पत्र नं० 91/19 सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
1.7.19	वाद स. 139/15 अ. धा. 183 R.T.A पूर्व दि. 8.9.15 को मूल वाद पेश किया वाद अ. धा. 183 R.T.A के साथ प्रा. पत्र अ. धा. 212 R.T.A वकील श्री I.M. अजमेरी द्वारा पेश किया जो बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन से तलब किया जावे। पत्रावली दि. 8.7.19 को पेश हो। [signature]	सरिश्ता/132 दि. 1.7.19
8.7.19	पत्रावली आज पेश हुई। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री तुफानसिंह चुण्डावत की ओर से वकालतनामा मय जवाब पेश किया गया। जवाब पेश करने के बाद प्रार्थी अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थी के निजी स्वामित्व की भूमि मौजा बिछोर प. ह. बिछोर में स्थित है जिसमें आराजी संख्या 1614, 1619/1 मी., 1620, 1621, किता कुल रकबा 0.28 है. प्रार्थी को उक्त भूमि बटवारा से प्राप्त हुई है। प्रार्थी को प्राप्त भूमि जो उसके निजी स्वामित्व की है 1619/1 पर अप्रार्थी जबरन निर्माण कार्य करवाना चाहता है जिसको रोका जाना आवश्यक है। प्रार्थी से उक्त भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा	

Scanned by CamScanner

होने के कारण उसे बेदखली के लिए इस न्यायालय मे वाद 183 धारा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर रखा है जो स्थानीय न्यायालय मे प्रकरण संख्या संख्या 139/15 विचाराधीन है।

प्रार्थी उक्त भूमि पर अभिलिखित (रिकार्डेड) खातेदार है। अप्रार्थी का उस पर कब्जा है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अनेकों प्रकरण मे यह नजीर के साथ बताया गया कि कब्जा होना उस पर किसी काश्तकार के अधिकार नही रह जाते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। इस आशय से अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह तावाद प्रकरण संख्या 139/15 वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तक प्रार्थी की खातेदारी निजी स्वामित्व वाली मौजा बिछोर, पटवार हलका बिछोर खाता संख्या 249 खसरा नं. 1619/1 पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न स्वयं करे, न ही अन्य से कराये। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर जमा 14 कम हो।

8/7/18

न्यायालय बईजलास सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज.

प्रार्थना–पत्र संख्या 91/2019

प्रतापसिंह पिता चमनसिंह राजपूत निवासी बिछोर हा0मु0 गोपालनगर तहसील व जिला चित्तौड़गढ

.....प्रार्थी

बनाम

भंवरसिंह पिता चमनसिंह राजपूत निवासी बिछोर तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ

.....अप्रार्थी

उपस्थित :– श्री आई. एम. अजमेरी
अभिभाषक वादीगण
श्री तुफानसिंह चुण्डावत
अभिभाषक प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 08/07/2019

आदेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा जरिए अधिवक्ता श्री आई एम अजमेरी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धरा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जिसमे उन्होने न्यायालय से निवेदन किया की प्रार्थी द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया जो इस न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है, लेकिन मूल वाद के निस्तारण में समय लगेगा तब तक विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक हैं। प्रार्थी के निजी स्वामित्व की भूमि मोज बिछौर पटवार हल्का बिछौर स्थित है आराजी संख्या 1614, 1619/1 मीन, 1620, 1621 मीन किता 4 कुल रकबा 0.2800 हे0 हैं । प्रार्थी प्रतापसिंह के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी होने व बाहर बीमार रहने के कारण सगा भाई भंवरसिंह प्रार्थी की जमीन को हडपना चाहता हैं तथा विभिन्न तरिके से अपना कब्जा कर अवैध निर्माण करना चाहता हैं। प्रार्थी के निजी स्वामित्व की भूमि फोरलेन पर स्थित है, जिसके आराजी नम्बर 1691/1 मीन इस भूमि पर अप्रार्थी दुकान निर्माण करने को आमदा है तथा बाहुबल के आधार पर प्रार्थी की भूमि पर दुकान निर्माण करने पर आमदा है। मौके पर पत्थर, रेत, सीमेन्ट ,पट्टीया डाल दी है व स्थाई निर्माण कार्य करना चाहता है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी को टोकना चाहा तो भी प्रार्थी की विपक्षी ने मरने मारने की धमकिया दी वह हर स्थिति में निर्माण कार्य करने बात दोहराई, साथ ही प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह भी बताया कि कोई व्यक्ति बिना निर्माण स्वीकृति के निर्माण नहीं कर सकता है, अप्रार्थी विपक्षी राष्ट्रीय राजमार्ग के नियमों के विपरीत भी निर्माण कार्य करवाना चाहता है यह विधि विरूद्ध है। यह प्रकरण हर प्रकार प्रथम दृष्टया प्रार्थी पक्ष में साबित है। एवं सुविधा व सन्तुलन की दृष्टि से भी प्रार्थी के पक्ष में होकर निहित है। विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से नहीं रोका गया तो प्रार्थी अपनी निजी भूमि से हमेशा के लिए वच्छित हो जावेगा । प्रार्थी को भारी अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थी की निजी स्वामित्व की भूमि न तो स्वयं दखलंदाजी करें ना ही किसी अन्य ,एजेन्ट आदि से दखलंदाजी व निर्माण आदि न हीं करे व न करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया विपक्षी को जरिये नोटिस न्यायालय में तलब किया गया, विपक्षी द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री तूफान सिंह चुण्डावत द्वारा अपना वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत किया गया । विपक्षी अप्रार्थी ने अपने जवाब में बताया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय में 183 राज0 काश्त0 अधि0 का वाद पेश किया गया, कथन स्वीकार है लेकिन उन्होने यह दावा झूठे निर्धारित तथ्यो के आधारित होने से अवश्य खारिज योग्य है। साथ ही उन्होने बताया कि यह प्रार्थी के निजी स्वामित्व की भूमि ना होकर वादी व प्रतिवादी दोनो के स्वामित्व की भूमि है। प्रार्थी द्वारा विपक्षी के ग्रामीण परिवेश व भोलेपन का नाजायज फायदा उठाकर रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट से मिलिभगत कर गलत व मिथ्या बंटवारा कर दिया था जिसकी जानकारी विपक्षी को नहीं थी व नहीं दी गई। अप्रार्थी द्वारा आराजी संख्या 1691/1 में विपक्षी ने कहीं भी कोई भी कानून हाथ में नहीं लिया है, ना ही उक्त आराजी पर कोई पत्थर डाले है और ना ही कोई निर्माण कार्य या नींव खोदी गई है। अप्रार्थी अपनी

Scanned by CamScanner

कृषि भूमि पर अपने कृषि के उपकरणो फसलो उपजो को सुरक्षित करने हेतु पक्का मकान निर्माण बिना निर्माण स्वीकृति व बिना भूमि किस्म परिवर्तन के निर्माण की अनुमति है जो सम्पूर्ण राजस्थान में लागू है, अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में विशेष कथन किया गया कि प्रथम दृष्टया वाद वर्णित भूमि पर कब्जा प्रतिवादी या विपक्षी का है, तो कानूनन कब्जे के अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थी द्वारा आराजी संख्या 1691/1 में दखलंदाजी उत्पन्न न करने बाबत पेश किया जिसका विपक्षी से कोई सम्बन्ध नहीं है। उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो विपक्षी को कोई आपत्ति नहीं है, प्रार्थी ने विपक्षी की बिना जानकारी के संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन कराया है प्रार्थी अपने हक हिस्से की भूमि को अन्य लोगो विक्रय कर दिया है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

हमने विद्ववान अधिवक्ताओं की बहस सुनी बहस में प्रस्तुत किये गये तर्को पर मनन किया गया साथ ही मूल पत्रावली संख्या 139/15 धारा अन्तर्गत 183 राज0 का0 अधि0 1955 एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो व बहस में दी गई नजीरो पर ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया।

पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य यह है कि वादी द्वारा एक वाद 139/15 धारा अन्तर्गत 183 राज0 का0 अधि0 1955 इस न्यायालय में दिनांक 27.08.2015 को प्रस्तुत किया गया जिसको बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया जिसमें वादी प्रार्थी के निजी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 239 आ.सं.1614, 1619/1मी., 1620, 1621मीन रकबा क्रमशः 0.10, 0.16, 0.01, 0.01 कुल किता– 4 कुल रकबा 0.28 हैक्टर मौजा बिछोर तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ । उक्त आराजी पर वादी द्वारा स्थानीय न्यायालय से पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्राप्त होने पर जब राजस्व कर्मचारी मौके पर पत्थरगढी करने गए तो वहॉ आराजी संख्या 1614 व 1619/1 पर प्रतिवादी का कब्जा होना अंकित किया गया, वादी प्रार्थी द्वारा प्रतिवादीगण अप्रार्थी को कब्जा सिपुर्द करने का मौखिक निवेदन किया तो प्रतिवादी द्वारा कब्जा वादी प्रार्थी को कब्जा सिपुर्द नहीं किया गया,तो वादी द्वारा स्थानीय न्यायालय में वाद पत्र पेश किया जो न्यायालय में विचाराधीन है। राजस्व ग्राम बिछोर जमांबंदी स. 2072 से 75 खतौनी संख्या 249 खसरा संख्या 1614, 1619/1, 1620मीन, 1621 रकबा क्रमशः 0.10, 0.16, 0.01, 0.01 राजस्व रिकोर्ड प्रार्थी प्रतापसिंह पिता चिमन सिंह दरोगा साकिन देह खातेदार है, स्थानीय न्यायालय सहायक कलक्टर बेगूँ द्वारा वाद संख्या 54/2004 अनवान प्रतापसिंह बनाम भंवरसिंह को दिनांक 21.09.2005 को न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री किया गया, उस डिक्री के अनुसार जमाबंदी में वादी व प्रतिवादी का अलग अलग खाता राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया न्यायालय द्वारा डिक्री किये गये दावे जिसमें प्रतापसिंह पिता चिमन सिंह निवासी बिछोर को आराजी नम्बर 1620, 1621, 1622, 1618, 1619/1, 1617, 1616, 1614, रकबा क्रमशः 0.06, 0.07, 0.14, 0.02, 0.40, 0.03, 0.01, 0.10 कुल किता–8 कुलरकबा 0.83 हैक्टर व भंवरसिंह पिता चिमनसिंह राजपूत निवासी बिछोर को आराजी नं0 1611, 1612, 1619/2, 1766/1612, क्रमशः रकबा 0.02, 0.42, 0.27, 0.11 किता– 4 कुल रकबा 0.82 हैक्टर का अलग अलग बंटवारा कर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हुआ । वर्तमान में खसरा नम्बर 1619/1 राजस्व रिकोर्ड प्रार्थी वादी प्रतापसिंह के राजस्व रिकोर्ड में है जबकि उसका कब्जा प्रतिवादी भंवरसिंह के पास होने से प्रार्थी वादी द्वारा दावा धारा अन्तर्गत 183 राज0का0अधि01955 जो कि इस न्यायालय में विचाराधीन है।

वादी प्रार्थी अभिलिखित खातेदार है जो न्यायालय सहायक कलक्टर बेगूँ द्वारा बंटवारा डिक्री किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हुआ है, प्रतिवादी का कब्जा होने मात्र से उसको अधिकार प्राप्त नहीं होते है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में बताया कि बंटवारा किये जाने की जानकारी पटवारी को थी, अगर उन्हें उस डिक्री से आपत्ति थी या रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट से मिलिभगत कर गलत व मिथ्या बंटवारा करा दिया था तो उन्हें उस डिक्री की अपील करनी चाहिए थी। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बताया कि वक्त बंटवारा अप्रार्थी भंवरसिंह के हस्ताक्षर मौजूद है, अतः अप्रार्थी द्वारा बंटवारा होने व बाद जानकारी के बाद अपील में जाना चाहिए था । प्रार्थी द्वारा आराजी संख्या 1691/1 रकबा 0.16 हैक्टर जो इसके हक हिस्से की है इसमें अप्रार्थी द्वारा कोई स्थाई निर्माण कार्य न स्वयं व न अन्य एजेन्ट, नौकर से करावें अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब के विशेष कथन के पैरा संख्या 3 में बताया गया कि प्रार्थी द्वारा आराजी संख्या 1691/1 मे दखलंदाजी उत्पन्न न करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें विपक्षी का कोई सम्मन नहीं है उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो विपक्षी को कोई आपत्ति नहीं हैं । अस्थाई निषेधाज्ञा की तीन शर्तो के अनुसार –

Scanned by CamScanner

प्रथम दृष्टया मामला :

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र के अनुसार आराजी संख्या 1619/1 रकबा 0.16 हैक्टर जो कि वादी अभिलिखित खातेदार है उसको प्रतिवादी द्वारा कब्जे में होने से वादी द्वारा दावा संख्या 139/15 धारा अन्तर्गत 183 राज0 का0 अधि0 1955 का पेश किया गया । अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे है।

अपूर्णनीय क्षति :

अगर अप्रार्थी द्वारा उक्त आराजी से 1619/1 रकबा 0.16 हैक्टर जो वादी के राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है अगर कोई निर्माण कराया जाता है तो अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी को होगी। आराजी संख्या 1619/1 में स्थाई निर्माण कराने के बाद उस आराजी जो काश्त के उपयोग में है वह उपयोग में नहीं रहेगी अतः प्रार्थी को इसकी अपूर्णनीय क्षति होगी ।

सुविधा का संतुलनः

प्रथम दृष्टया मामला व अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी पक्ष में होने के कारण आराजी संख्या 1691/1 रकबा 0.16 हैक्टर जो कि प्रार्थी के राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है तो यह भी प्रार्थी के पक्ष में है।अतः प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्णनीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ. धा. 212 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 को स्वीकार कर अप्रार्थी को आराजी संख्या 1619/1 ग्राम बिछोर प0ह0 बिछोर को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना उचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीका प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 को स्वीकार किया जाता है अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह ता वाद प्रकरण संख्या 139/15 वाद अ.धा. 183 राज0 का0 अधि0 1955 के निर्णय होने तक प्रार्थी के निजी स्वामित्व वाली मोजा बिछोर प. ह. बिछोर राजस्व भूमि खाता संख्या 249 आराजी संख्या 1691/1 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म चाही 3 पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अप्रार्थी न स्वयं करें न ही अपने एजेन्ट नौकर से करावें।

आदेश आज दिनांक 08.07.2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

8/7/19

(रमेश चंद्र पुनाड़िया)
सहायक कलेक्टर
बेगूँ,जिला चित्तौडगढ

Scanned by CamScanner